बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 17)

[26 मार्च, 2007]

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2007 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह 23 जनवरी, 2007 से प्रवृत्त समझा जाएगा।

1949 का 10 2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 24 में,— धारा 24 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (2क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) कोई अनुसूचित बैंक, उस औसत दैनिक अतिशेष के अतिरिक्त,
1934 का 2 जो वह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अधीन रखने के लिए

अपेक्षित है या जिसे रखने की उससे अपेक्षा की जाए तथा प्रत्येक अन्य बैंककारी कंपनी, उस नकद आरक्षिति के अतिरिक्त, जिसे रखने की धारा 18 के अधीन उससे अपेक्षा है, भारत में ऐसी आस्तियां रखेगा, जिनका मूल्य द्वितीय पूर्ववर्ती पक्ष के अन्तिम शुक्रवार को भारत में उसकी कुल मांग और कालिक दायित्वों के चालीस प्रतिशत से अनधिक ऐसे प्रतिशत से कम नहीं होगा, जो रिजर्व बैंक, समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसी आस्तियां, ऐसे प्ररूप और रीति में रखी जाएंगी, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं।'';

(ग) उपधारा (2ख) का लोप किया जाएगा।

धारा 53 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 53 में,—

(i) उपधारा (1) में, ''विशेष आर्थिक जोन, अधिनियम, 2005 के अधीन स्थापित किसी विशेष आर्थिक जोन में कार्य कर रही या अवस्थित बैंककारी कंपनी या संस्था को या किसी वर्ग की बैंककारी कंपनियों को या उनकी किसी शाखा को'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''बैंककारी कंपनी या संस्था को या किसी वर्ग की बैंककारी कंपनियों को'' शब्द रखे जाएंगे; 2005 का 28

(ii) उपधारा (2) में, आरंभिक भाग में, ''उपधारा (1) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की प्रति, प्रारूप रूप में, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी'' शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

''विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अधीन स्थापित किसी विशेष आर्थिक जोन में कार्य कर रही या अवस्थित, यथास्थिति, किसी बैंककारी कंपनी या संस्था या किसी वर्ग की बैंककारी कंपनियों या किसी बैंककारी कंपनी अथवा किसी संस्था की किसी शाखा के संबंध में उपधारा (1) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति, प्रारूप के रूप में, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी''। 2005 का 28

निरसन और व्यावृत्ति।

4. (1) बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2007 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2007 का अध्यादेश सं॰ 1

(2) बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। 2007 का अध्यादेश सं॰ 1

राष्ट्रपति ने दि बैंकिंग रेगुलेशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2007 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the Banking Regulation (Amendment) Act, 2007 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार।

Secretary to the Government of India.

MGIPMRND—2208olw—03.07.2007.